e-ISSN:2582 - 7219

# INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 8, August 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 5.928

International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408020 |

# दलित विमर्श के सामाजिक सरोकार

**नरेश कुमार वर्मा**

सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, टोंक

सार

भारत में 165 मिलियन से अधिक लोगों के साथ भेदभावपूर्ण और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार को जाति के आधार पर उचित ठहराया गया है। जाति वंश-आधारित और प्रकृति में वंशानुगत है। यह एक विशेष जाति में किसी के जन्म द्वारा निर्धारित एक विशेषता है, भले ही व्यक्ति द्वारा प्रचलित आस्था के बावजूद। जाति वंश और व्यवसाय द्वारा परिभाषित रैंक वाले समूहों में कठोर सामाजिक स्तरीकरण की एक पारंपरिक प्रणाली को दर्शाती है। भारत में जाति विभाजन आवास, विवाह, रोजगार और सामान्य सामाजिक संपर्क-विभाजनों में हावी है जो सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार और शारीरिक हिंसा के अभ्यास और खतरे के माध्यम से प्रबलित हैं।NHRC के अनुसार, व्यापक हिरासत में यातना और दलितों की हत्या, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न, और पुलिस द्वारा दलित संपत्ति की लूट "माफी की जाती है, या सबसे अच्छी तरह से अनदेखी की जाती है।" यह समस्या हाल की नहीं है।१९७९ में भारत ने पुलिस प्रदर्शन में समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया। हालांकि, आयोग की सिफारिशों, जिसमें दलितों के पुलिस दुर्व्यवहार के लिए विशिष्ट सिफारिशें शामिल हैं, को अभी भी अपनाया नहीं गया है।जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) और डीके बसु मामले में निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश यातना, अवैध हिरासत या अनुचित पूछताछ को रोकने के लिए कानूनी उपकरण उपलब्ध हैं।आरक्षित सरकारी रोजगार में जाति-आधारित व्यावसायिक वितरण को प्रबल किया जाता है, जिसमें दलितों को मुख्य रूप से सफाईकर्मियों के पदों पर नियुक्त किया जाता है। उच्च शिक्षा में आरक्षण को लगातार भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण इसे कम लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय सरकारी निकायों में दलितों के लिए आरक्षण का व्यापक जन विरोध हुआ है,अक्सर दलित उम्मीदवारों के बलात्कार और हत्या सहित हिंसा के कृत्यों का कारण बनता है।राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग - दलितों और आदिवासी समूहों के मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अधिकार क्षेत्र वाला एक संवैधानिक निकाय , इन अधिकारों के पालन की निगरानी और जांच करता है, और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर उचित निवारण सुरक्षित करता है-ने कहा है कि निजी क्षेत्र, जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है, को भी आरक्षण नीति के दायरे में लाया जाना चाहिए।दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए जिम्मेदार संघ परिवार- संबद्ध समूहों के सदस्यों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपायों को इंगित करें , जिसमें हिंसक हमले, नरसंहार, और हिंदू धर्म के लिए "पुन: धर्मांतरण" शामिल हैं।दलितों के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों से जुड़े बड़ी संख्या में मामले अभी भी अदालतों के समक्ष लंबित हैं। दलित महिलाओं में विशेष रूप से भारत के कानून प्रवर्तन तंत्र के जाति और लिंग पूर्वाग्रहों के कारण उनके खिलाफ किए गए अपराधों के लिए पर्याप्त निवारण की कमी है।

दलितों के निवास की स्वतंत्रता का अधिकार "अस्पृश्यता" की प्रथा से गंभीर रूप से कम हो गया है, जो अक्सर तय करता है कि दलितों को कहाँ रहना चाहिए। भारत के भीतर दलितों के आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार उन परिस्थितियों से कम हो गया है जो दलितों को प्रवासी श्रम के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और जातिगत हिंसा के बाद दलितों के जबरन विस्थापन से। इसके अलावा, दलितों के भारत छोड़ने का अधिकार, जबकि औपचारिक रूप से दिया गया है, दलितों की असमान रूप से कम आर्थिक स्थिति और प्रासंगिक दस्तावेजों को प्राप्त करने में असमर्थता और उदाहरण के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक प्रमाण के कारण पर्याप्त गारंटी नहीं है।

## परिचय

दलितों और उच्च जातियों के बीच विवाह और अन्य सामाजिक संपर्क पर सख्त प्रतिबंध नियमित रूप से दलितों के विवाह करने और अपना जीवनसाथी चुनने के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अंतर्विवाह पर ये प्रतिबंध जाति व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है और इसे शुद्धता और प्रदूषण के कठोर सामाजिक मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतर्विवाह अक्सर संघर्षों के लिए फ्लैशपॉइंट होते हैं और उच्च-जाति बहुल पंचायतों (ग्राम परिषदों) द्वारा जोड़ों या उनके रिश्तेदारों की सार्वजनिक

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408020 |

लिंचिंग, हत्या (दुल्हन, दूल्हे, या उनके रिश्तेदारों की), बलात्कार के माध्यम से अतिरिक्त-न्यायिक रूप से दंडित किया जा सकता है। , सार्वजनिक पिटाई, और अन्य प्रतिबंध।[1]

दलितों को संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से व्यवस्थित रूप से वंचित किया जाता है। भूमिहीनता-भूमि तक पहुंच की कमी, भूमि के स्वामित्व में असमर्थता, और जबरन बेदखली-दलितों की अधीनता में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब दलित भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार के तत्वों का - उपयोग करने और इसका आनंद लेने के अधिकार सहित - नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है। भूमि सुधार कानून न तो लागू किया गया है और न ही ठीक से लागू किया गया है। भूमि सुरक्षित करने के दलितों के प्रयासों को राज्य की हिंसा या निजी अभिनेताओं द्वारा हिंसा या आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में प्रतिशोध के साथ पूरा किया गया है। दलितों के आवास के अधिकार को आवासीय अलगाव, शहरी वातावरण में आवास में भेदभाव, और संपत्ति के अपने अधिकार के उपरोक्त उल्लंघनों से और कमजोर कर दिया गया है।[2]

दलितों ने उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का जवाब सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और ऐतिहासिक रूप से इस्लाम में परिवर्तित करके दिया है। हालांकि, धर्मांतरण (ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए) पर संवैधानिक विशेषाधिकारों का नुकसान दलितों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा, कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून की शुरूआत ने धर्म परिवर्तन को असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन बना दिया है। दुख की बात है कि धर्म परिवर्तन भी उनके "अछूत" के रूप में व्यवहार से बचने की गारंटी नहीं देता है।चूंकि "अस्पृश्यता" भारत में सभी धर्मों में प्रचलित है।दलितों के अपने अधिकारों को लागू करने के प्रयासों को प्रतिशोधी हिंसा और सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के साथ पूरा किया जाता है। शोषणकारी श्रम व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए बनाए गए कानून-जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और सूखे शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976,अंतर राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९७९, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, १९८६, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८, समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६, और कर्नाटक देवदासी (निषेध) समर्पण) अधिनियम, १९९२-और जहां प्रासंगिक हो, उनके साथ जुड़े पुनर्वास कार्यक्रम काफी हद तक अप्रभावी हैं।[3]

दलितों को अक्सर स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के उच्चतम प्राप्य मानक के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अस्पतालों में प्रवेश, या स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच से इनकार कर दिया जाता है। कई मामलों में भर्ती होने वालों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा, जाति-आधारित व्यवसाय जो दलितों को करने के लिए मजबूर किए जाते हैं, जैसे कि हाथ से मैला ढोना और जबरन वेश्यावृत्ति, अक्सर दलितों को गंभीर और कभी-कभी घातक स्वास्थ्य खतरों के लिए उजागर करते हैं। बिना मास्क, वर्दी, दस्ताने, जूते, उपयुक्त बाल्टी और पोछे की सुरक्षा के बिना हाथ से मैला ढोने वालों को नियमित रूप से मानव और पशु अपशिष्ट दोनों के संपर्क में लाया जाता है।[4] इसका उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है; अधिकांश मैला ढोने वाले एनीमिया, दस्त और उल्टी से पीड़ित हैं, 62 प्रतिशत सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं, 32 प्रतिशत त्वचा रोगों से पीड़ित हैं, 42 प्रतिशत पीलिया से पीड़ित हैं।और 23 प्रतिशत लोग ट्रेकोमा से पीड़ित हैं, जिससे अंधापन होता है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से कई सफाईकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, मुंबई में, दलितों को सीवेज की रुकावटों को दूर करने के लिए मैनहोल में उतारा जाता है-अक्सर बिना किसी सुरक्षा के।[5] जहरीली गैसों के अंदर जाने या मलमूत्र में डूबने से हर साल 100 से अधिक श्रमिकों की मौत हो जाती है। दलित महिलाएं और लड़कियां जो बनने को मजबूर हैंदेवदासी , और अंततः शहरी वेश्यालयों में नीलाम कर दी जाती हैं, उन्हें एचआईवी/एड्स होने का विशेष खतरा होता है।[6]

## अवलोकन

एक स्वतंत्र, न्यूयॉर्क स्थित गैर-सरकारी संगठन, ह्यूमन राइट्स वॉच दुनिया के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन की नियमित, व्यवस्थित तथ्य-खोज जांच करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के मानवाधिकार प्रथाओं की जांच करती है, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता, भू-राजनीतिक संरेखण, जातीय या धार्मिक अनुनय के बावजूद। [7] यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उचित प्रक्रिया और कानून के समान संरक्षण और एक सशक्त नागरिक समाज की रक्षा करता है। 1978 में स्थापित, ह्यूमन राइट्स वॉच में आज ऐसे विभाग शामिल हैं जो अपने विषयगत प्रभागों के अलावा अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया और मध्य पूर्व को कवर करते हैं। यह दुनिया भर में निजी व्यक्तियों और फाउंडेशनों के योगदान से समर्थित है।[8] यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सरकारी धन स्वीकार नहीं करता है।केनेथ रोथ कार्यकारी निदेशक हैं और ब्रैड एडम्स एशिया डिवीजन के प्रमुख हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दक्षिण एशिया में जाति-आधारित भेदभाव पर लगभग एक दशक तक काम किया है, लेकिन विशेष रूप से अपनी रिपोर्ट के 1999 के प्रकाशन के बाद से।ब्रोकन पीपल: कास्ट वायलेंस अगेंस्ट इंडियाज "अछूत"।ह्यूमन राइट्स वॉच इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क का संस्थापक सदस्य है और दक्षिण एशिया में कई दलित अधिकार समूहों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करता है। यह हाल ही में दलितों की सुरक्षा की वकालत कर रहा है जो आंतरिक संघर्ष की स्थितियों में विशेष रूप से कमजोर हैं। [9] नेपाल में माओवादियों से जुड़े एक सशस्त्र संघर्ष और भारत में कई भारतीय राज्यों में नक्सलियों के

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408020 |

रूप में जाने जाने वाले माओवादी समूहों द्वारा इसी तरह के विद्रोह ने दलितों को सुरक्षा बलों से दुर्व्यवहार के उच्च जोखिम में डाल दिया है, निगरानी समूह अक्सर सरकार के समर्थन से काम करते हैं, और आतंकवादी . इसने बाल श्रम के सबसे खराब रूपों में कार्यरत बच्चों और एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों में दलितों की विशेष भेद्यता का भी दस्तावेजीकरण किया है।[10] ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2006 की सुनामी के बाद राहत और पुनर्वास प्राप्त करने में दलितों को भेदभाव से बचाने में राज्य की विफलता की जांच की; इसकी सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत की गईं क्योंकि उसने अपनी आपदा प्रबंधन नीति तैयार की थी।
समिति ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में अपनी विफलता में अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। भारत की दसवीं से चौदहवीं आवधिक रिपोर्टों के अपने समापन टिप्पणियों में, समिति ने जोर देकर कहा कि:-

यद्यपि संवैधानिक प्रावधान और कानूनी ग्रंथ अस्पृश्यता को समाप्त करने और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की रक्षा करने के लिए मौजूद हैं, और यद्यपि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की स्थिति में सुधार करने और उन्हें दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सामाजिक और शैक्षिक नीतियों को अपनाया गया है, व्यापक रूप से उनके खिलाफ भेदभाव और उनका दुरुपयोग करने वालों की सापेक्ष दण्ड से मुक्ति इन उपायों के सीमित प्रभाव की ओर इशारा करती है।[11]

## विचार – विमर्श

भारत में जातिगत भेदभाव को कई अन्य संधि निकायों और विशेष प्रक्रियाओं द्वारा गंभीर चिंता के मुद्दे के रूप में भी उठाया गया है। १९९७ में मानवाधिकार समिति ने नोट किया कि भारत में अनुसूचित जातियां "गंभीर सामाजिक भेदभाव को झेल रही हैं और [आईसीसीपीआर] के तहत अपने अधिकारों के कई उल्लंघनों से असंगत रूप से पीड़ित हैं, अन्य बातों के साथ- साथ अंतर-जातीय हिंसा, बंधुआ मजदूरी और सभी प्रकार के भेदभाव।" और हाल ही में 2004 में बाल अधिकारों पर समिति "अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य जनजातीय समूहों के बच्चों के खिलाफ लगातार और महत्वपूर्ण सामाजिक भेदभाव पर गहराई से चिंतित थी।" इसके अतिरिक्त, शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, पर्याप्त आवास, भोजन का अधिकार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, और यातना सभी ने अपने जनादेश में जाति आधारित भेदभाव की जांच को शामिल किया है और भारत को विशेष चिंता का देश बताया है।[12]
कठोर सुरक्षा कानूनों के तहत दलितों को विशेष रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कम से कम दो राज्यों, झारखंड और आंध्र प्रदेश में, आतंकवाद की रोकथाम अधिनियम 2002 (पोटा) [13] का व्यापक रूप से दलितों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के बजाय उनकी जाति की स्थिति के लिए लक्षित किया गया था। [14]

दलित कार्यकर्ताओं पर "आतंकवादी," "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा," और "आदतन अपराधी" होने का भी आरोप लगाया जाता है, और अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 और यहां तक कि पुराने उग्रवाद विरोधी कानूनों के तहत आरोप लगाया जाता है। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1987 (आमतौर पर टाडा के रूप में जाना जाता है)। [15] दलित कार्यकर्ताओं को अक्सर गिरफ्तारी के बाद विशिष्ट अभियोगों, झूठे आरोपों और शारीरिक शोषण और यातना के अधीन किया जाता है। [16] इसके अलावा, बिहार में रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच हुई हिंसा के बाद, दलितों को भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १०७ के तहत निवारक हिरासत में रखा गया था, जो २४ घंटे की अधिकतम हिरासत अवधि से अधिक था। [17]इसी तरह, जुलाई १९९५ और जून १९९६ के बीच तमिलनाडु में सवर्ण समुदाय के सदस्यों और दलितों के बीच बढ़ती हिंसा के बाद, तमिलनाडु गुंडा अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, १९८० जैसे निवारक निरोध कानूनों के तहत कई दलित युवाओं को गिरफ्तार किया गया। [18 ] इसके अतिरिक्त, पुलिस "मुठभेड़ में होने वाली मौतों" में भी शामिल होती है, जिसके तहत युवा कार्यकर्ता जो कथित रूप से किसी भी नक्सली या कट्टरपंथी वाम आंदोलन संगठनों का समर्थन करते हैं, उन्हें उठाया जाता है, स्वीकारोक्ति निकालने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और फिर आत्मरक्षा के बहाने मार दिया जाता है। [19] हालांकि उच्च-जाति समुदाय के सदस्यों को भी पुलिस ने इस तरीके से उठाया है, लेकिन आमतौर पर उनकी जाति के प्रभावशाली लोगों के दबाव के परिणामस्वरूप उनके साथ इस तरह का कठोर व्यवहार नहीं किया जाता है।[20]

## परिणाम

भारत सरकार एकीकरणवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने या जातियों के बीच की बाधाओं को खत्म करने में विफल रही है। इसके विपरीत, सरकार ने स्कूलों में अलगाव के लिए आंखें मूंद ली हैं (देखें खंड VIII(E)(5)(a) और VIII(F)(1)(c)), आवास में

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408020 |

अलगाव को प्रोत्साहित किया है (देखें खंड VI) (ए)), जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत शिविर शामिल हैं (देखें खंड V(A)(1)(b)), और "अस्पृश्यता" प्रथाओं के संवैधानिक और विधायी उन्मूलन को ईमानदारी से लागू करने में विफल रहा है। [21] इसके अतिरिक्त, जैसा कि दलित तेजी से अपने भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करने के लिए संगठित होते हैं, सरकार ने दलित कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा कानून का अनुचित उपयोग किया है (देखें धारा V(A)(1)(a)(ii)), दलितों की रक्षा करने में लगातार विफल रही है। उच्च जाति समूहों द्वारा जवाबी हमलों के खिलाफ,जिसमें दलित महिलाओं का बलात्कार शामिल है [22] (देखें धारा VIII(B)), और दलितों के खिलाफ सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार से निपटने में विफल (देखें धारा VIII(E)), जिससे एकीकरणवादी आंदोलनों को और हतोत्साहित किया गया।उच्च शिक्षा में आरक्षण को लगातार भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण इसे कम लागू किया जा रहा है। [23] देश के २५६ विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय) द्वारा वित्त पोषित लगभग ११,००० कॉलेजों में, दलित और आदिवासी शिक्षण पदों का केवल २ प्रतिशत हैं; इन समुदायों के लिए आरक्षित लगभग 75,000 शिक्षक पद रिक्त हैं। [24]
दलितों के खिलाफ अपराध दर्ज करने या ठीक से दर्ज करने में पुलिस की विफलता (देखें धारा V(A)(1)(a)(vi)) एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसमें न्याय देने वाले अंगों के समक्ष दलितों के समान व्यवहार के अधिकार से समझौता किया जाता है। किसी व्यक्ति के सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने और हिंसा या शारीरिक नुकसान से बचाने के लिए भारत का दायित्व राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं पर लागू होता है। पुलिस द्वारा दलितों के खिलाफ दुर्व्यवहार की प्रकृति और सीमा को ऊपर धारा V(A)(1)(a) में वर्णित किया गया है। [25] यह खंड दलितों के खिलाफ व्यापक हिंसा पर केंद्रित है, जिसमें दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और दलितों की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत सरकार की विफलता शामिल है।

निष्कर्ष

दलितों को काम करने का अधिकार, रोजगार का स्वतंत्र चुनाव, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियों के लिए, बेरोजगारी से सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन, उचित और अनुकूल पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।दलितों को ट्रेड यूनियन बनाने और शामिल होने का अधिकार सुनिश्चित करें।दलितों के आवास के अधिकार को सुनिश्चित करें।दलितों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं के अधिकार को सुनिश्चित करें। [26] दलितों को शिक्षा और प्रशिक्षण का अधिकार सुनिश्चित करें।सांस्कृतिक गतिविधियों में दलितों की समान भागीदारी का अधिकार सुनिश्चित करें।आम जनता द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत किसी भी स्थान या सेवा में दलितों के उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना।[27]
जाति आधारित भेदभाव के कृत्यों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा और उपचार का आश्वासन।जाति आधारित पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए शैक्षिक उपायों को अपनाना।कम पढ़े-लिखे, गंभीर रूप से गरीब और बेरहमी से शोषित, दलित अपनी सबसे बुनियादी दैनिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। दलितों को अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए राज्य और निजी दोनों तरह के अभिनेताओं से दैनिक खतरों को भी सहना होगा। दलितों के खिलाफ उच्च-जाति समूहों द्वारा हिंसा के दो प्रमुख कारण हैं: "अस्पृश्यता" और भेदभाव उच्च-जाति समुदाय के सदस्य दैनिक आधार पर अभ्यास करते हैं [21] और उच्च-जाति समुदाय के सदस्यों की इच्छा को रोककर अपनी खुद की स्थापित स्थिति की रक्षा करना। दलित विकास और दलितों के अधिकारों की पूर्ति। [26]भारत में दलितों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य पार्टी अपने अधिकार क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के सम्मान, सुरक्षा और कन्वेंशन अधिकारों को सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का उल्लंघन कर रही है। भारत नियमित रूप से दलितों को उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करता है जो इसके कई अन्य नागरिक प्रदान करते हैं।

यह विफलता इस बात को मानने से इंकार करने से उपजी है कि अनुच्छेद 1 के "वंश" के आधार पर भेदभाव का निषेध जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को शामिल करता है। भेदभाव सरकार के कई पहलुओं में निहित है-कानून प्रवर्तन, अभियोजकों और न्यायाधीशों की भेदभावपूर्ण प्रथाओं से लेकर, स्कूलों सहित सार्वजनिक सेवाओं में अलगाव को समाप्त करने में विफलता और आवासीय व्यवस्था में, कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में विफलता के लिए। विशेष रूप से दलित महिलाओं सहित दलितों के विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। [28] राज्य पार्टी यह सुनिश्चित करने में भी विफल रही है कि निजी अभिनेता, विशेष रूप से उच्च जाति समुदाय के सदस्य, भेदभाव पर निषेध का पालन करते हैं। जवाबी हिंसा, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार,और निजी अभिनेताओं द्वारा लागू की गई शोषणकारी श्रम स्थितियों को अनियंत्रित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत सुरक्षा और अन्य अधिकारों के दलितों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो संविधान और विभिन्न विधायी उपायों द्वारा काल्पनिक रूप से गारंटीकृत हैं। [29]"अस्पृश्यता" की व्यापक प्रथा और कन्वेंशन अधिकारों के उल्लंघन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि भारत मौजूदा कानून, नीतियों और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा और सुधार करे जो दलितों के अत्यधिक हाशिए पर और उत्पीड़न को बेरोकटोक जारी रखने में सक्षम बनाता है।और कन्वेंशन अधिकारों का उल्लंघन यह आवश्यक है कि भारत मौजूदा कानून, नीतियों और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा और सुधार करे जो दलितों के अत्यधिक हाशिए और उत्पीड़न को निरंतर जारी रखने में सक्षम

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408020 |

बनाता है।और कन्वेंशन अधिकारों का उल्लंघन यह आवश्यक है कि भारत मौजूदा कानून, नीतियों और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा और सुधार करे जो दलितों के अत्यधिक हाशिए और उत्पीड़न को निरंतर जारी रखने में सक्षम बनाता है।[30]

संदर्भ

[1] ह्यूमन राइट्स वॉच, ब्रोकन पीपल: कास्ट वायलेंस अगेंस्ट इंडियाज "अछूत"(न्यूयॉर्क: ह्यूमन राइट्स वॉच, 1999), पीपी. 1-2। [इसके बादटूटे हुए लोग]। २००१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का १६.२ प्रतिशत है। CEDAW को भारत की संयुक्त दूसरी और तीसरी आवधिक रिपोर्ट, 19 अक्टूबर, 2005, CEDAW/C/IND/2-3, पैरा.92।

[2] ह्यूमन राइट्स वॉच,ब्रोकन पीपल, पृ. 2.

[3] ह्यूमन राइट्स वॉच,पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स: अटैक्स अगेंस्ट क्रिश्चन इन इंडिया, वॉल्यूम। 11, नंबर 6, सितंबर 1999।

[4] ह्यूमन राइट्स वॉच,हमारे पास आपको बचाने के लिए कोई आदेश नहीं है:गुजरातमें सांप्रदायिक हिंसा में राज्य की भागीदारी और जटिलता, वॉल्यूम। 14, नंबर 3 (सी), अप्रैल 2002।

[5] भारत सरकार, २००६ में राज्यों की पार्टियों की उन्नीसवीं आवधिक रिपोर्ट, सीईआरडी/सी/आईएनडी/१९, २९ मार्च, २००६, पैरा। 45-50।

[6] नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर समिति, "कन्वेंशन के अनुच्छेद ९ के तहत राज्य पार्टियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार, १९९६, भारत में राज्य पार्टियों की चौदहवीं आवधिक रिपोर्ट," CERD/C/299/Add.3, अप्रैल 26, 1996,http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/a035833a480e4514802565530037bf7e?Opendocument(7 फरवरी, 2007 को एक्सेस किया गया)।

[7] नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर समिति की रिपोर्ट, इक्यावनवां सत्र, ए/51/18, 1996,http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/76ebd2611b2261d2c12563e90058d7d7/$FILE/7d7/$ N9625738.pdf(7 फरवरी, 2007 को एक्सेस किया गया), पैरा। ३६१.

[8] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, "अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम पर रिपोर्ट," २००४, [इसके बाद "एनएचआरसी रिपोर्ट"]।

[9] नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ पर वर्ष २००२ के लिए वार्षिक रिपोर्ट (बीसवीं रिपोर्ट) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली,http://socialjustice.nic.in/schedule/ar -पीसीआर.पीडीएफ(7 फरवरी, 2007 को एक्सेस किया गया)।

[10] वर्ष २००२ के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ पर वार्षिक रिपोर्ट (उन्नीसवीं रिपोर्ट) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली,http://socialjustice.nic .in/schedule/ar-poa.pdf(7 फरवरी, 2007 को एक्सेस किया गया)।

[11] यह रिपोर्ट राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान (एनसीडीएचआर) द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोतों पर भी निर्भर करती है, जो पिछले आठ वर्षों से जातिगत भेदभाव के मुद्दों पर काम करने वाले भारतीय गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है। रिपोर्ट विशेष रूप से 2000 में एनसीडीएचआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जन सुनवाई में प्रस्तुत किए गए केस पेपर और एनसीडीएचआर के "कार्य और वंश आधारित भेदभाव पर विशेष रिपोर्टर की प्रश्नावली का जवाब" [इसके बाद "एनसीडीएचआर प्रतिक्रिया के लिए विशेष संवाददाता की प्रश्नावली"] से आकर्षित होती है। यह रिपोर्ट ग्रामीण भारत में "अस्पृश्यता" के रूपों और व्यापकता पर 2006 में प्रकाशित एक अध्ययन से जानकारी प्राप्त करती है, जो 11 भारतीय राज्यों के 565 गांवों के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है। आम तौर पर देखें, घनश्याम शाह एट अल।,ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता, (नई दिल्ली: सेज प्रकाशन, २००६)। रिपोर्ट के सह-लेखक घनश्याम शाह (नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, वासेनार ), हर्ष मंदर (सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, दिल्ली), सुखादेव थोराट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली), सतीश देशपांडे (संस्थान) हैं। आर्थिक विकास ,

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408020 |

दिल्ली), और अमिता बाविस्कर। रिपोर्ट 2001-2002 में की गई जांच पर आधारित है और 2006 में एक्शन एड इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[12] सरकार ने सीईडीएडब्ल्यू को अपनी अक्टूबर २००५ की रिपोर्ट में जिन आंकड़ों का हवाला दिया है, वे बहुत पुराने हैं, १९७१ से १९९१ तक के आंकड़े दलित महिला साक्षरता स्तर और १९९९ से २००० तक के आंकड़े दलितों में गरीबी की घटनाओं के लिए हैं। CEDAW को भारत की संयुक्त दूसरी और तीसरी आवधिक रिपोर्ट, 19 अक्टूबर, 2005, CEDAW/C/IND/2-3 पैरा.110 ("एससी [अनुसूचित जाति] महिलाओं के बीच महिला साक्षरता स्तर में वर्ष 1971 में 6.44 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। से २३.७६ वर्ष १९९१ में") और उक्त, पैरा। 211 ("जाति के आधार पर असमानता से पता चलता है कि 1991 में 52.2 प्रतिशत की समग्र साक्षरता दर के मुकाबले अनुसूचित जाति के लिए 37.4 प्रतिशत थी")।यह सभी देखेंइबिड।, पैरा पर। 111 ("[टी] वह अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में 36.25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 38.47 प्रतिशत के साथ, 1999-2000 में कुल जनसंख्या के संबंध में क्रमशः 27.09 और 23.62 प्रतिशत की तुलना में एससी के बीच गरीबी की घटना बहुत अधिक है" )

[13] भारतगणराज्य की १३ वीं, सोलहवीं, सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं आवधिक रिपोर्ट, ४ जनवरी, १९९८, २०००, २००२, २००४ और २००६ को एक दस्तावेज में २६ जनवरी, २००६ को प्रस्तुत की गई। सीईआरडी/सी/आईएनडी/19, पैरा। 16 (29 मार्च, 2006)।

[14] पूर्वोक्त, पैरा। 17.

[15] सीईआरडी, सामान्य सिफारिश XXIX (२००२)अनुच्छेद १ (१) वंश के संबंध में, पैरा। 7.

[16] नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति, ए / 51/18, 1996, की रिपोर्टhttp://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/76ebd2611b2261d2c12563e90058d7d7/$FILE/N9625738.pdf(पहुँचा 7 फरवरी, 2007), पैरा. 352.

[17] जातिवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफ़ोबिया और संबंधित असहिष्णुता ("नस्लवाद पर विशेष प्रतिवेदक") के समकालीन रूपों पर विशेष प्रतिवेदकका ध्यानपहली बार १९९६ में भारत में दलितों की स्थिति की ओर आकर्षित किया गया था (ई/सीएन.४/ 1997/71, पैरा 127)। 1999 में, नस्लवाद पर विशेषप्रतिवेदक[श्री मौरिस जीएल-अहनजो(1993 2002)]ने मानवाधिकार आयोग को सूचना दी कि भारत में "अछूतों" की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए (ई/सीएन.4/1999) /15, 15 जनवरी 1999, पैरा 100)। नस्लवाद की रिपोर्ट पर विशेष प्रतिवेदक में हाल ही में जातिगत भेदभाव को शामिल करने केलिए, उदाहरण के लिएदेखें, [श्री डौडौ डाइन (२००२ वर्तमान)] अद्यतन अध्ययन २००६ (६२वां सीएचआर सत्र), रिपोर्ट पैरा। 17 (ई/सीएन.4/2006/54) (आम तौर पर एशिया और अफ्रीका में जाति व्यवस्था को नस्लीय भेदभाव के बराबर भेदभाव की श्रेणीबद्ध प्रणाली के रूप में संदर्भित करते हुए), और भारत के लिए प्रश्नावली, पैरा। १७ (ई.सी.एन.४.२००५/१८) (एक दलित पर २०० लोगों के एक समूह द्वारा कथित हमले के संबंध में भारत सरकार को महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर नस्लवाद और विशेष प्रतिवेदक द्वारा संयुक्त रूप से भेजे गए आरोप पत्र का हवाला देते हुए 16 मई, 2004 को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के कालापट्टी गांव में बस्ती)।

[18] CEDAW के समापन अवलोकन: भारत, (२०००), पैरा। 74.

[19] भारत की संयुक्त दूसरी और तीसरी आवधिक रिपोर्ट CEDAW को, १९ अक्टूबर २००५, CEDAW/C/IND / २-३।

[20] पूर्वोक्त, पैरा.२०.

[21] पूर्वोक्त, पैरा। 98.

[22] पूर्वोक्त, पैरा। 99.

[23] पूर्वोक्त, पैरा। 100.

[24] पूर्वोक्त, पैरा। १०१.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 8, August 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0408020 |

[25] पूर्वोक्त, पैरा। 102.

[26] बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, "कन्वेंशन के अनुच्छेद ४४ के तहत राज्यों की पार्टियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार,टिप्पणियों का समापन, भारत," सीआरसी/सी/15/एड.२२८, (२००४), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/35e5ebb72fcfadbac1256e83004a29a8/$FILE/G0440552.pdf, पैरा। 27 (7 फरवरी, 2007 को अभिगमित)।

[27] शिक्षा के अधिकार पर विशेषप्रतिवेदक,श्री वी. मुओज़ विलालोबोस, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार: लड़कियों का शिक्षा का अधिकार (६२वां सत्र) ८ फरवरी, २००६, पैरा। 82-85 (दलित लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले दोहरे भेदभाव और उनके शिक्षा के अधिकार पर इसके प्रभाव को उजागर करना)।

[28] पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार के एक घटक के रूप में पर्याप्त आवास पर और इस संदर्भ में गैर-भेदभाव के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक, मिलून खोटारी, वार्षिक रिपोर्ट २००५ (६१वां सीएचआर सत्र) ३ मार्च २००५, पैरा . 62 (दलितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में क्योंकि उन्हें "भूमि के मालिक होने से रोका जाता है और गांवों के बाहरी इलाके में, अक्सर बंजर भूमि पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है," और "ग्रामीण गरीबों और दलितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि सुधार अप्रभावी रहे हैं कमजोर विधायी प्रावधानों, अपर्याप्त कार्यान्वयन और राज्य की प्रतिबद्धता की कमी के कारण")।

[29] भोजन के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक, मिस्टर जीन ज़िग्लर की रिपोर्ट (६२वां सीएचआर सत्र), मिशन टू इंडिया, पैरा। 11 (इस बात से चिंतित है कि अनुसूचित जाति और जनजाति "भूख और कुपोषण से सबसे अधिक पीड़ित हैं," और भेदभाव दलितों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करता है, उन्हें भूमि के मालिक होने से रोकता है और सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से रोकता है, जैसे गांव के कुएं)।

[30] महिलाओं के खिलाफ हिंसा, इसके कारणों और परिणामों पर विशेष प्रतिवेदक, डॉ याकिन एर्टर्क की रिपोर्ट (६१वां सीएचआर सत्र), सरकारों से और (उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा दलितों पर हमलों से संबंधित) से संचार। सुश्री राधिका कुमारस्वामी की रिपोर्ट (५७वां सीएचआर सत्र), २३ जनवरी २००१, पैरा। 85 (उन रिपोर्टों से निष्कर्ष निकाला है कि कुछ जातियों और जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों की महिलाओं को पुलिस द्वारा लक्षित किए जाने का खतरा है)।

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

# INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

## IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com